RISING RAJASTHAN

Azadi Ka Amrit Mahotsav

राजस्थान सरकार

न्यायालय जिला कलक्टर, बालोतरा

पीठासीन अधिकारी : सुशील कुमार, आई0ए0एस0

राजस्व अपील सं. 03/2025

अपीलांटगण–

1. श्री अब्दुल खां पुत्र दीनू खां
2. श्री शेरू खां पुत्र दीनू खां
3. श्री सफी खां पुत्र दीनू खां

जातियान मुसलमान, निवासीयान नवोड़ा बेरा, तहसील पाटोदी, जिला बालोतरा।

बनाम

रेस्पोडेंट्स –

1. श्री मलुक खां पुत्र नूरे खां जाति मुसलमान निवासी नवोड़ा बेरा, तहसील पाटोदी, जिला बालोतरा।
2. श्री मालम खां पुत्र नूरे खां के कायम मुकाम 2/1 बाबु खां पुत्र आलम खां निवासी नवोड़ा बेरा तहसील पाटोदी जिला–बालोतरा।
3. श्री सरपंच ग्राम पंचायत नवोड़ा बेरा।
4. श्री उप तहसीलदार पाटोदी।

राजस्व अपील अन्तर्गत धारा 225 राज0 काश्तकारी अधिनियम, 1955 विरूद्ध आदेश क्रमांक/भू.अ./2021/14 दिनांक 08.12.2021 जो उप तहसीलदार पाटोदी (वर्तमान तहसीलदार पाटोदी) द्वारा पारित किया।

उपस्थिति :–

1. श्री एस.के. मंगलिया, अधिवक्ता अपीलांट्स की ओर से उपस्थित।
2. श्री सुमार खान, अधिवक्ता रेस्पोरूडेंटगण संख्या 1, 1/2 की ओर से उपस्थित।

निर्णय

दिनांक : 18.06.2025

1. अपीलांटगण की ओर से यह अपील धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 के तहत रेस्पोडेंट उप तहसीलदार पाटोदी के द्वारा कृषि भूमि के विभाजन हेतु पारित **आदेश क्रमांक/भू.अ./2021/14 दिनांक 08.12.2021 जो उप तहसीलदार पाटोदी (वर्तमान तहसीलदार पाटोदी)** के विरूद्ध इस न्यायालय में दिनांक 03.03.2025 को पेश की गई है।

2. प्रस्तुत अपील के संक्षिप्त तथ्य यह हैं कि मौजा नवोड़ा बेरा पटवार क्षेत्र नवोड़ा बेरा, भू–अभि.निरीक्षक बड़नावा, तहसील पाटोदी के खेत खसरा भूमि खसरा संख्या 4321/1562 रकबा 34.00 बीघा किरम बा. सोयम व बर 4322/1562 रकबा 68.09 बीघा (नये खसरा नंबर 4501/1562 क्षेत्रफल 5.0424 हैक्टेयर, खसरा नंबर 4505/1562 क्षेत्रफल 0.4856 हैक्टेयर, खेत खसरा नंबर 4500/1562 क्षेत्रफल 2.7519 हैक्टेयर, खसरा नंबर

जिला कलक्टर
बालोतरा

4506/1562 क्षेत्रफल 1.2950 हैक्टेयर, खसरा नंबर 4509/1562 क्षेत्रफल 0.9955 हैक्टेयर, खसरा नंबर 4502/1562 क्षेत्रफल 2.7761 हैक्टेयर, खसरा नंबर 4503/1562 क्षेत्रफल 0.4856 हैक्टेयर, खसरा नंबर 4507/1562 क्षेत्रफल 0.9712 हैक्टेयर, खसरा नंबर 4508/1562 क्षेत्रफल 1.2950 हैक्टेयर, खसरा नंबर 4504/1562 क्षेत्रफल 0.4856 हैक्टेयर) के खातेदारान अपीलांटगण व रेस्पोडेंटगण ने प्रार्थना–पत्र दिनांक 08.12.2021 को उप तहसीलदार पाटोदी के समक्ष प्रस्तुत कर संलग्न विभाजन नक्शा अनुसार आपसी रजामंदी व समझौता से भूमि व उस पर बनने वाले लगान का बाहमी तौर से विभाजन करने का निवेदन किया। उपरोक्त वर्णित भूमि पक्षकारान के नाम सहकाश्तकारी में दर्ज हैं तथा उपरोक्त विभाजन के सभी पक्षकारान सहमत हैं। भूमि सहखातेदारों की पैतृक हैं। इस पर उप तहसीलदार पाटोदी द्वारा हल्का पटवारी की रिपोर्ट के आधार पर पक्षकारान के द्वारा प्रस्तुत विभाजन इकरारनामा स्वीकार कर राजस्व रेकर्ड में अमल दरामद किये जाने का अपीलाधीन आदेश क्रमांक/भू.अ./2021/14 दिनांक 08.12.2021 पारित किया गया। अपीलांट ने उक्त विभाजन स्वीकृति आदेश को अपास्त करने हेतु यह अपील इस न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत की गई है तथा अपील प्रस्तुत करने मे हुए विलम्ब को क्षमा करने हेतु धारा 5 मयाद अधिनियम के तहत प्रार्थना–पत्र मय शपथ पत्र प्रस्तुत किया गया।

3. अपीलांट द्वारा प्रस्तुत अपील में मयाद के बिन्दु पर निर्णय सुरक्षित रखते हुए दर्ज रजिस्टर किया जाकर रेस्पोडेंट्स को जरिये नोटिस तलब किया गया तथा अपीलाधीन अभिलेख मंगवाया जाकर अवलोकन किया गया।

4. अपीलांटगण के अधिवक्ता ने दौराने बहस यह कथन किया कि अपीलांटगण एवं रेस्पोडेंटगण की पैतृक भुमि मौजा नवोड़ा बेरा पटवार क्षेत्र नवोड़ा बेरा, भू–अभि. निरीक्षक बड़नावा, तहसील पटोदी के खेत खसरा भूमि खसरा संख्या 4321/1562 रकबा 34.00 बीघा किरम बा. सोयम व बर 4322/1562 रकबा 68.09 बीघा (नये खसरा नंबर 4501 /1562 क्षेत्रफल 5.0424 हैक्टेयर, खसरा नंबर 4505/1562 क्षेत्रफल 0.4856 हैक्टेयर, खेत खसरा नंबर 4500/1562 क्षेत्रफल 2.7519 हैक्टेयर, खसरा नंबर 4506/1562 क्षेत्रफल 1.2950 हैक्टेयर, खसरा नंबर 4509/1562 क्षेत्रफल 0.9955 हैक्टेयर, खसरा नंबर 4502/1562 क्षेत्रफल 2.7761 हैक्टेयर, खसरा नंबर 4503/1562 क्षेत्रफल 0.4856 हैक्टेयर, खसरा नंबर 4507/1562 क्षेत्रफल 0.9712 हैक्टेयर, खसरा नंबर 4508/1562 क्षेत्रफल 1.2950 हैक्टेयर, खसरा नंबर 4504/1562 क्षेत्रफल 0.4856 हैक्टेयर) में अवस्थित है। अपीलकर्ता व रेस्पोडेंट संख्या 1 व 2 उपरोक्त भूमियों का मौके पर कब्जा काश्त, रहवासीय ढाणियां, पशुओ का बाडा, चारावाडा इत्यादि को ध्यान में रखते हुए सहमति से बंटवाडा कराने की मंशा जाहिर की गई। इसी दरमियान प्रशासन गांवों के संग अभियान में सभी पक्षकारान ने सहमति से विभाजन यह जानते हुए कि मौके पर जिस प्रकार कब्जा है, मौके पर विभाजित होने वाली भूमियों में आवागमन का रास्ता उनके द्वारा चाहे गये स्थान पर रखा जाकर बंटवारा किया जायेगा, इसलिए दोनों पक्षो ने संबंधित पटवारी से मिलकर विभाजन प्रस्ताव मौके पर तैयार करवाने हेतु हल्का पटवारी से संपर्क किया और हल्का पटवारी ऐसा कहने पर हल्का पटवारी द्वारा आश्वस्त किया गया कि मौके पर काबिज अनुसार विभाजन प्रस्ताव तैयार किया जावेगा किन्तु हल्का पटवारी द्वारा अपीलकर्ता व रेस्पोडेंट संख्या 1 व 2 के मध्य जो विभाजन प्रस्ताव तैयार किया, वो मौके पर कब्जा काश्त, रहवासीय ढाणियों,

जिला कलक्टर
बालोतरा

चारावाडा, पशुओ बाडे इत्यादि व आवागमन हेतु रखी गयी भूमि अनुसार तैयार नहीं कर मौके के विपरीत तैयार कर दिया तथा प्रशासन गांवों के संघ अभियान कैम्प स्थल नवोड़ा बेरा में हम अपीलांटगण व रेस्पोडेंट संख्या 1 व 2 को बिना जानकारी दिये ही पेश कर दिया, जिस पर न तो पटवारी के हस्ताक्षर है तथा न ही सील मोहर लगी है, जिससे देखने से भी प्रथम दृष्टया प्रतित होता है कि विभाजन प्रस्ताव बिना विधिक प्रक्रिया अपनाये ही बिना अपीलांटगण को जानकारी दिये पारित किया गया है इस कारण सभी सह खातेदारान के मध्य बंटवारा के अनुसार तरमीम होने से एक दूसरे के कब्जे के विपरीत स्थिति उत्पन्न हो गयी इस कारण मौके पर विवाद उत्पन्न हो गया, ऐसी स्थिति में बंटवारे की प्रमाणित प्रतिलिपि उप तहसीलदार कार्यालय जाकर दिनांक 14.052024 को चाही तो पता लगा कि वक्त सहमति बंटवारा मौके पर विपरीत स्थिति के विभाजित कर दिया, इसलिए ऐसे विभाजन प्रस्ताव, विभाजन की कार्यवाही व आदेश को यर्थाथ स्वरूप में रखना न्याय. हित में नहीं होने से निम्न आधारो पर अपीलकर्ता अपील प्रस्तुत करता 2. यह है कि यह आवश्यक था कि सह खातेदारान के मध्य सयुक्त भूमि का विभाजन किया जावें तब भूमि पर काबिज पक्षकारान की रहवासीय ढाणियो, पानी के टांको, आवागमन हेतु रखी गयी भूमि जिस जगह तरमीम की जा रही है, उससे किसी पक्षकारान के विधिक हक प्रतिकूल रूप से प्रभावित नहीं हो किन्तु अपीलाधीन आदेश में ऐसी सम्यक तत्परता अधीनस्थ उप तहसीलदार द्वारा नहीं बरतने से सह खातेदारान के विधिक हक प्रतिकूल रूप से प्रभावित हो रहे है इससे आदेश निरस्त/अपास्त किये जाने योग्य है। उक्त खसरान आलोच्य भूमि पर हुए गलत विभाजन होने पर अधीनस्थ न्यायालय उप तहसीलदार पाटोदी द्वारा पारित विभाजन आदेश क्रमांक/भू.अ./2021/14 दिनांक 08.12.2021 को निरस्त करते हुए मौके पर कब्जा काश्त माफिक बंटवाड़ा पुनः करवाने हेतु अपीलांटगण व रेस्पोडेंटगण की सहमत है।

5. रेस्पोडेंटगण संख्या 01 ता 3 के योग्य अधिवक्ता दौराने बहस कथन किया कि अपीलांटगण एवं रेस्पोडेंटगण की पैतृक भुमि मौजा नवोड़ा बेरा पटवार क्षेत्र नवोड़ा बेरा, भू–अभि.निरीक्षक बड़नावा, तहसील पटोदी के खेत खसरा भूमि खसरा संख्या 4321/1562 रकबा 34.00 बीघा किरम बा. सोयम व बर 4322/1562 रकबा 68.09 बीघा (नये खसरा नंबर 4501/1562 क्षेत्रफल 5.0424 हैक्टेयर, खसरा नंबर 4505/1562 क्षेत्रफल 0.4856 हैक्टेयर, खेत खसरा नंबर 4500/1562 क्षेत्रफल 2.7519 हैक्टेयर, खसरा नंबर 4506/1562 क्षेत्रफल 1.2950 हैक्टेयर, खसरा नंबर 4509/1562 क्षेत्रफल 0.9955 हैक्टेयर, खसरा नंबर 4502/1562 क्षेत्रफल 2.7761 हैक्टेयर, खसरा नंबर 4503/1562 क्षेत्रफल 0.4856 हैक्टेयर, खसरा नंबर 4507/1562 क्षेत्रफल 0.9712 हैक्टेयर, खसरा नंबर 4508/1562 क्षेत्रफल 1.2950 हैक्टेयर, खसरा नंबर 4504/1562 क्षेत्रफल 0.4856 हैक्टेयर) अवस्थित है। उक्त विवादित भूमि पर गलत विभाजन होने पर पक्षकारान के मध्य मौके पर विवाद उत्पन हो गया है। इस हेतु अधीनस्थ न्यायालय उप तहसीलदार पाटोदी द्वारा पारित विभाजन आदेश क्रमांक/भू.अ./2021/14 दिनांक 08.12.2021 को निरस्त करते हुए मौके पर कब्जा काश्त माफिक बंटवाड़ा पुनः करवाने हेतु समस्त रेस्पोडेंटगण सहमत है।

6. हमने उभयपक्ष के अधिवक्तागण की बहस सुनी, उपरांत बहस पत्रावली का अवलोकन किया व मनन किया तथा अधिवक्ता अपीलांट द्वारा प्रकट तथ्यो एवं उपलब्ध दस्तावेजों का अवलोकन किया, जिसमें पाया कि मौजा नवोड़ा बेरा पटवार

जिला कलक्टर
बालोतरा

क्षेत्र नवोड़ा बेरा, भू–अभि.निरीक्षक बड़नावा, तहसील पाटोदी के खेत खसरा भूमि खसरा संख्या 4321/1562 रकबा 34.00 बीघा किरम बा. सोयम व बर 4322/1562 रकबा 68.09 बीघा (नये खसरा नंबर 4501/1562 क्षेत्रफल 5.0424 हैक्टेयर, खसरा नंबर 4505/1562 क्षेत्रफल 0.4856 हैक्टेयर, खेत खसरा नंबर 4500/1562 क्षेत्रफल 2.7519 हैक्टेयर, खसरा नंबर 4506/1562 क्षेत्रफल 1.2950 हैक्टेयर, खसरा नंबर 4509/1562 क्षेत्रफल 0.9955 हैक्टेयर, खसरा नंबर 4502/1562 क्षेत्रफल 2.7761 हैक्टेयर, खसरा नंबर 4503/1562 क्षेत्रफल 0.4856 हैक्टेयर, खसरा नंबर 4507/1562 क्षेत्रफल 0.9712 हैक्टेयर, खसरा नंबर 4508/1562 क्षेत्रफल 1.2950 हैक्टेयर, खसरा नंबर 4504/1562 क्षेत्रफल 0.4856 हैक्टेयर) के खातेदारान अपीलांटगण व रेस्पोडेंटगण ने प्रार्थना–पत्र दिनांक 08.12.2021 को उप तहसीलदार पाटोदी के समक्ष प्रस्तुत कर संलग्न विभाजन नक्शा अनुसार आपसी रजामंदी व समझौता से भूमि व उस पर बनने वाले लगान का बाहमी तौर से विभाजन करने का निवेदन किया। उपरोक्त वर्णित भूमि पक्षकारान के नाम सहकाश्तकारी में दर्ज हैं तथा उपरोक्त विभाजन के सभी पक्षकारान सहमत हैं। भूमि सहखातेदारों की पैतृक हैं। इस पर उप तहसीलदार पाटोदी द्वारा हल्का पटवारी की रिपोर्ट के आधार पर पक्षकारान के द्वारा प्रस्तुत विभाजन इकरारनामा स्वीकार कर राजस्व रेकर्ड में अमल दरामद किये जाने का अपीलाधीन आदेश क्रमांक/भू.अ./2021/14 दिनांक 08.12.2021 पारित किया गया। चूंकि समस्त पक्षकारान की मुख्य आपत्ति है, कि बंटवाड़ा मौके पर कब्जा काश्त के विपरीत हुआ है, जिसके कारण राजस्व रेकर्ड व मौका स्थिति का मिलान नहीं हो रहा है एवं पक्षकारान को अपुर्णीय क्षति हो रही है। कानून की मंशा है कि राजस्व रेकर्ड व मौका स्थिति समानान्तर होनी चाहिए, ताकि एकरूपता बनी रहें। उक्त अपीलाधीन भूमि के संबंध में समस्त पक्षकारान के सहमति के आधार पर अपीलाधीन आदेश निरस्त करवाकर मौके पर कब्जा काश्त स्थिति अनुसार पुनः बंटवाड़े हेतु रजामंद है। इस प्रकार अधीनस्थ न्यायालय उप तहसीलदार पाटोदी द्वारा अपीलाधीन आदेश पारित करने से पूर्व मौका कब्जा की जांच नहीं करने से उक्त विभाजन दूषित एवं विवादित हो गया है, जिसे बहाल रखा जाना न्यायोचित प्रतीत नही होता है।

7. अतः उपर्युक्त तथ्यों एवं परिस्थितियों पर विवेचन एवं विश्लेषण के परिणामस्वरूप अपीलांट द्वारा प्रस्तुत यह अपील स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय उप तहसीलदार पाटोदी द्वारा पारित विभाजन आदेश क्रमांक/भू.अ./2021/14 दिनांक 08.12.2021 को अपास्त किया जाता है। लिहाजा प्रकरण उप तहसीलदार पाटोदी (वर्तमान तहसीलदार पाटोदी) को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित (रिमाण्ड) किया जाता है कि मौका कब्जा एवं पक्षकारान की सहमति अनुसार राजस्थान काश्तकारी (राजस्व मण्डल) नियम, 1955 मे यथा विहित प्रावधानों की पालना करते हुए पुनः नये सिरे से विभाजन की कार्यवाही करें।

8. निर्णय आज दिनांक 18.06.2025 को खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

(सुशील कुमार)
जिला कलक्टर, बालोतरा